न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/325

जगन्नाथ आयु 75 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी सूंसां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् कनिष्ठ अभियन्ता महोदय सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता महोदय सिंचाई विभाग लघु सिंचाई परियोजना राजस्थान सरकार बून्दी जिला बून्दी ।
6. ग्राम पंचायत कैथूदा पंचायत समिति नैनवा द्वारा श्रीमान् सरपंच साहब ग्राम पंचायत केथूदा पंचायत समिति नैनवा जिला बून्दी ।
7. ग्राम पंचायत केथूदा पंचायत समिति नैनवा द्वारा श्रीमान् सचिव महोदय ग्राम पंचायत केथूदा पंचायत समिति नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सूसां तहसील नैनवा जिला बून्दी में वर्तमान खसरा नम्बर 5 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 02 रकबा 549 बीघा 06 बिस्वा में से 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 5/947 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा था । उक्त भूमि वादी को दिनांक 06.06.1967 को आवंटित हुई

थी । उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 5/947 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा को तो वादी के नाम अन्य भूमि के साथ मिलाकर खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा शेष बची कृषि भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा को चारागाह दर्ज कर दिया । उक्त भूमि वादी के आंवटनशुदा एवं खातेदारी अधिकार की भूमि है । उक्त भूमि को बन्दोबस्त अधिकारियों ने किस्म बर्डा बिलानाम सरकार से चारागाह में परिवर्तन कर दिया तथा खसरा नम्बर 02 रकबा 549 बीघा 06 बिस्वा में से 18 बिस्वा को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था । ग्राम पंचायत केथूदा पंचायत समिति नैनवा ने दिनांक 22.04.2008 को साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ग्राम सूंसा तहसील नैनवा की खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा चारागाह हटाने तथा वादी के नाम नियमन करने की स्वीकृति दी गई ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा को किस्म चारागाह से हटाकर वादी के खातेदारी अधिकार की घोषित किया जाकर वादी के खातेदारी में अंकित किया जावे तथा खसरा नम्बर 02 रकबा 549 बीघा 06 बिस्वा में से 18 बिस्वा को सिंचाई विभाग के खाते से हटाकर वादी के खातेदारी अधिकार की घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी वादी को आंवटित हुई थी और वह उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के बहाने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी क्योंकि अपीलान्ट को उनके अभिभाषक ने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना किया हुआ था और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में दिनांक 13.05.2015 को पीठासीन अधिकारी नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.08.2015 नियत की गई उक्त पेशी पर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से जानकारी करने पर पत्रावली पेशी पर नहीं मिली व कहा गया कि पत्रावली मिलते ही अवगत करवा देंगे । अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा काफी प्रयास करने पर ही पत्रावली का कुछ पता नहीं चला अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कहा कि पत्रावली मिलते ही सूचना कर देंगे । अपीलान्ट ने अधिवक्ता ने माह मई में 20 तारीख के आस–पास बताया कि

उक्त प्रकरण में निर्णय हो गया है जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलान्ट को दिनांक 06.06.1967 को विधिवत आवंटित हुई थी, के खातेदारी अधिकारों की प्रार्थना की थी । प्रकरण में प्रतिवादी कम 3 लगायत 5 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 10.07.2015 को प्रतिवादी कम 1 व 2 के द्वारा जवाब पेश किया गया है और इसी दिन लोक अदालत में बिना सूचना एवं सुनवाई के रखते हुए निर्णय पारित किया है जबकि दिनांक 13.05.2015 को तारीख पेशी दिनांक 19.08.2015 नियत की गई थी । इसी बीच दिनांक 10.07.2015 को निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को आवंटित हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था जिसमें दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई थीं जो पत्रावली में संलग्न है । पत्रावली जवाब पैरोकार सरकार में लम्बित थी । पत्रावली में आदेशिका दिनांक 14.12.2011 के अनुसार प्रतिवादी कम 3 एवं 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया और दिनांक 28.04.2012 के अनुसार तनकीयात कायम की गई । इसके बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी गई और दिनांक 23.08.2012 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी कम 2 की तलबी हेतु तलवाना पेश करने के लिए दिनांक 12.09.2012 की तारीख दी गई इसके उपरान्त पत्रावली प्रतिवादी कम 2 की

तलबी में चलती रही और दिनांक 12.02.2014 को पैरोकार सरकार की उपस्थिति दर्ज की गई । इसके बाद दिनांक 19.04.2014 को भी तलवाना पेश करने के लिए तारीख पेशी दी गई और दिनांक 07.01.2015 को जवाब में तारीख दी गई है । जबकि तनकीयात कायम करने से पूर्व समस्त पक्षकारान से जवाब लिया जाना अनिवार्य होता है । दिनांक 13.05.2015 से दिनांक 19.08.2015 की तारीख पेशी दी गई और इससे पूर्व ही दिनांक 10.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार उन्हें लोक अदालत की तारीख की तामील की गई हो । लोक अदालत में सिर्फ प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं और उनकी ओर से जवाब पेश किया जाना अंकित कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सरकार के द्वारा पेश किये गये जवाबदावे के उपरान्त इस पर भी तनकीयात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा